(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1320-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-03-2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण क्रमांक 46/अपील/13-14

———

1-बनवारीलाल पुत्र स्व0श्री हेमराज

2-गजानंद पुत्र स्व0श्री हेमराज

3-राजकुमार पुत्र स्व0श्री हेमराज

4-राधाबाई पुत्री श्री हेमराज

5-गीताबाई पुत्री श्री हेमराज

सभी निवासीगण मकान नं0 72 जैन नगर,

लालघाटी, तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-श्रीमती उमरी बाई पत्नि स्व0जगन्नाथ

2-फूलसिंह आ0स्व0जगन्नाथ

3-शादीलाल आ0स्व0जगन्नाथ

4-कमललाल आ0स्व0जगन्नाथ

निवासीगण ग्राम मुंगालिया हाट तहसील हुजूर

जिला भोपाल म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री सुनीलसिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका के द्वारा ग्राम मुगलिया हाट तहसील हुजूर स्थितभूमि सर्वेनम्बर 403/1 रकबा 3.67 एकड़ भूमि रजिस्टर्ड नायब तहसीलदार वृत्त-1 ग्राम मुंगालिया हाट तहसील हुजूर की नामान्तरण पंजी क्रमांक 11 में पारित आदेश दिनांक 11-2-1998 से व्यथित होकर प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21-3-2016 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वारिसान आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण वारिसान के जबाव हेतु नियत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अनावेदक को लाभ पहुँचाने वाला होकर नियम व प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि अपील दिनांक 10-9-2013 को

प्रस्तुत की गई थी और दिनांक 4-6-2014 को इमरतीबाई की मृत्यु हो गई थी इस कारण इमरतीबाई की मृत्यु होने की दिनांक से 90 दिवस के अन्दर अनावेदक को आदेश 22 नियम 44 सीपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये इमरती के वैध उत्तराधिकारियों को पक्षकार के रूप में संयोजित करने की और अपील में संशोधन करने की कार्यवाही करना चाहिये थी जो अनावेदक ने समयावधि में नहीं की है । इस तथ्य का प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण आदेश पत्रिका का अवलोकन करने से हो जाता है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रचलित अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध चलाये जाने से और सीपीसी में उल्लेखित नियमों के विपरीत कार्यवाही होने से तथा विलम्ब का स्पष्टीकरण व इस संबंधमें आवेदन नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व संपूर्ण कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 32 का दिनांक 23-11-15 को प्रस्तुत किया और न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया कि उक्त अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रचलित है तथा समयावधि में नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई, ऐसी स्थिति में विलम्ब का कारण भी दर्शित न होने से उक्त अपील सी0पी0सी के प्रावधान के अनुसार निरस्ती योग्य हैपरन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के तर्कपर बल नहीं दिया, जबकि पेशी दिनांक 20-1-16 को अनावेदक ने न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया था कि वह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 का जबाव पेश नहीं करना चाहते है ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र जबाव एवं तर्क प्रस्तुत न होने से तथा खण्डन न होने से स्वीकार योग्य था, जिस पर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीग्रस्त आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य था जिस पर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीग्रस्त आदेश पारित किया जो कि निरस्त किये जाने योग्य

है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20-1-2016 को पीठासीन अधिकारी ने लिखा है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 का आवेदन पत्र पहले से ही प्रकरण में संलग्न है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है । वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण में उस समय तक कोई गुणात्मक कार्यवाही नहीं हुई थी, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर मृत इमरतीबाई के विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर